



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268332
CG-DL-E-08122025-268332

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5467]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2025/अग्रहायण 17, 1947

No. 5467]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2025/AGRAHAYANA 17, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5655(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१-जी, के कि.मी. ०/००० से कि.मी ४२/१०० तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ाकरने, पेंड शोल्डर सहित दो लेन/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रवन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी बालापुर को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१-जी के कि.मी. ०/००० से कि.मी. ४२/१०० के लिए

अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अकोला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पातुर					
गांव का नाम: हिंगणा					
1	147	निजी	कृषिक	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
2	148	निजी	कृषिक	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
3	25	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
4	26	निजी	कृषिक	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
5	27	निजी	कृषिक	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
6	6	निजी	कृषिक	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
गांव का नाम: दिग्रस खु.					
7	10	निजी	कृषिक	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
8	59	निजी	कृषिक	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
9	62	निजी	कृषिक	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
10	68	निजी	कृषिक	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
गांव का नाम: बाभूलगाव,					
11	84	निजी	कृषिक	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
12	9	सरकारी	अकृषिक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: देऊलगाव					
13	249	निजी	कृषिक	0.011 (हेक्टेयर)	0.011

14	254	निजी	कृषिक	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
15	259	निजी	कृषिक	0.075 (हेक्टेयर)	0.075
16	271	निजी	कृषिक	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
17	279	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
18	7	निजी	कृषिक	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
Total					0.829

[फा. सं. RW/NH-12014/135/2024-MAH/Zone-IV/3A3]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2025

S.O. 5655(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Building (Widening/Two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.161-G in the stretch of land from Km 0/000 to Km. 42/100 in the district of Akola in the state of MAHARASHTRA**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **the Sub Divisional Officer Balapur**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling NH-161G within the stretch of the land from Km 0/000 to Km 42/100 in the District of Akola in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Patur					
Village: Hingana					
1	147	Private	Agriculture	0.111 (Hectare)	0.111
2	148	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
3	25	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
4	26	Private	Agriculture	0.081 (Hectare)	0.081

5	27	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
6	6	Private	Agriculture	0.073 (Hectare)	0.073

Village: Digras khu.

7	10	Private	Agriculture	0.027 (Hectare)	0.027
8	59	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
9	62	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
10	68	Private	Agriculture	0.031 (Hectare)	0.031

Village: Babhulgaon

11	84	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
12	9	Government	Non-Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004

Village: Deulgaon

13	249	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
14	254	Private	Agriculture	0.011 (Hectare)	0.011
15	259	Private	Agriculture	0.075 (Hectare)	0.075
16	271	Private	Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
17	279	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
18	7	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
Total					0.829

[F. No. RW/NH-12014/135/2024-MAH/Zone-IV/3A3]

SHAIKH AMINKHAN, Director